

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक
कलक्टर, सिणधरी

क्रमांक-ग्रा. से.शि/2025/518

प्रकरण सं.-313/2025
दिनांक- 9/12/25

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सिणधरी व भू.अ.
नि. सिणधरी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सिणधरी चरणार
तहसील सिणधरी व जिला बालोतरा की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 में खाता संख्या 25 व 247
में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	<u>सिणधरी चरणार</u>	25 247	19/9 19/12	खसरा नम्बर 19/9 व 19/12 की गलत तरमीम	तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट क्रमांक 83 दिनांक 9/12/25 की अनुशंसा के आधार पर तरमीम दुरुस्त की जाती हैं।

(समदरसिंह भाटी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सिणधरी
दिनांक:- 9/12/2025

क्रमांक-सम./2025/519-52
प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट उपलब्ध करावें।
2. प्रार्थी आमूराम, जे.ए.ए.एम. मेखला, आबली सरा तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रचित पत्रावली।



उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सिणधरी